दानूराम बनाम सरकार

अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 136 एल.आर.ए.

प्र.सं. 148/2016 जीसीएमएस आईडी : 2016/00638

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
21.02.2023	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। राजपैरोकार उपस्थित। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/1054 दिनांक 16.02.2023 प्राप्त हुई। वकील वादीगण को वाद पत्र पर सुना गया। वादीगण वाद प्रस्तुत कर चक 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 53/42 के मु.नं. 9 प.नं. 160/318 के कि.नं. 3 में 0.202है., 4 ता 8 सालम सालम, 9 में 0.038है., 14–15 सालम सालम, 25/3 में 0.090है., कुल 2.101है. तथा मु.नं. 14 प.नं. 159/319 के कि.नं. 5–6 सालम सालम व 15/1 में 0.005है. कुल 0.511है. इस प्रकार कुल 2.612 है. नहरी जो जमबंदी के कॉलम सं. 7 में बारानी दर्ज किया गया है, के स्थान पर बारानी को दुरूस्त किया जाकर नहरी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया हैं। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार चक 8 एनपी संवत 2063–2066 के खाता सं 147 के मु.नं. 9 प.नं. 160/318 के कि.नं. 3/0.202है., 4ता8/1.265, 9/0.038है., 14–15/0.506, 25/2/0.102है., कुल 2.113है. बारानी नहरी व मु.नं. 14 प.नं. 159/319 के कि.नं. 1/2/0.126, 2ता8/1.771, 9/2/0.127, 13/2/0.126, 14ता16/0.759, 17/2/0.126, 25/2/0.126 कुल 3.161है. बारानी इस प्रकार कुल 5.274है. रकबा संयुक्त खाते में धनी पत्नी बनवारी, दानूराम–रामचन्द्र–मूर्ति–प्रेमा पि0 बनवारी ब.हि.ब. 2.637है. रामकरण पुत्र मलू 2.637है. जाति बिश्नोई के नाम दर्ज रिकार्ड था। उक्त खाते में ई.सं. 233 हुकमन द्वारा मु.नं. 9 का कि.नं. 25/2/0.012 व मु.नं. 14 का कि.नं. 1/2/0.038 को आराजीराज दर्ज किया गया जिसके उपरान्त शेष रकबे मु.नं. 9 का 2.101है. व मु.नं. 14 का 3.123है. को ई.सं. 234 किस्म हुकमन द्वारा बारानी से नहरी दर्ज किया गया। जबकि उक्त जमाबंदी के बाद नयी जमाबंदी संवत 2067–2070 बनाते समय मु.नं. 9 कि.नं. 3/0.202है., 4ता8/1.265, 14–15/0.506 कुल 1.973है. व मु.नं. 14 प.नं. 159/319 के कि.नं. 5–6/0.506, 15/1/0.005है. कुल 0.511है. रकबा सहवन से नहरी की बजाय बारानी दर्ज हो गया। जोकि वर्तमान जमाबंदी 2075–2078 तक बारानी दर्ज हैं। वर्तमान जमाबंदी 2075–2078 में खाता सं. 48 मु.नं. 9 प.नं. 160/318 कि.नं. 4/2/0.097, 5 ता 7/0.759, 14/2/0.142, 15/0.253 कुल 1.251है. बारानी व मु.नं. 14 प.नं. 159/319 कि.नं. 5/0.253 कुल 1.504 है. दानूराम पुत्र बनवारी जाति बिश्नोई के नाम से दर्ज है व खाता सं. 104 प.नं. 160/318 मु.नं. 9 कि.नं. 3/0.202, 4/1/0.156, 8/0.253, 14/1/0.111, 9/0.038, 25/3/0.090, कुल 0.850है. व मु.नं. 14 कि.नं. 6/0.253, 15/1/0.005 कुल 0.258है. दोनों मुरब्बों की कुल 1.108है. रामचन्द्र पुत्र बनवारी जाति बिश्नोई के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। जमाबंदी संवत 2075–2078 ई.सं. 234 हुकुमन अनुसार खाता सं. 48 मु.नं. 9 कि.नं. 4/0.097, 5 ता 7/0.759, 14/2/0.142, 15/0.253 कुल 1.251है. बारानी व मु.नं. 14 कि.नं. 5/0.253 बारानी रकबा व खाता सं. 104 प.नं. 160/318 मु.नं. 9 कि.नं. 3/0.202, 4/1/0.156, 8/0.253, 14/1/0.111 व मु.नं. 14 कि.नं. 6/0.253, 15/1/0.005 कुल 0.980है. बारानी रकबे को नहरी की दुरूस्ती की जानी उचित हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण धारा 88 आरटीएक्ट के तहत किसी प्रकार की घोषणा का अनुतोष [illegible] न होकर [illegible] दुरूस्ती से संबंधित हैं। अतः प्रकरण 136 एलआरएक्ट की हद तक [illegible] या [illegible]। अतः उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट [illegible] वाद पत्र 136 एलआरएक्ट की हद तक [illegible] चक 8 एनपी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2075–2078 [illegible] खाता सं. 48 मु.नं. 9 कि.नं. 4/0.097, 5 ता 7/0.759, 14/2/0.142, 15/0.253 कुल 1.251है. बारानी व मु.नं. 14 कि.नं. 5/0.253 बारानी रकबा व [illegible] सं. 104 प.नं. 160/318 मु.नं. 9 कि.नं. 3/0.202, 4/1/0.156, 8/0.253, 14/1/0.111 व मु.नं. 14 कि.नं. 6/0.253, 15/1/0.005 कुल 0.980है. रकबा बारानी के स्थान पर नहरी दुरूस्त कर दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (गुंजन सिंह) उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Gunjan Singh
Date: 2023.03.22 11:43:00 IST
Reason: SelfAttested